राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/12/20	मु० करीमन / हेमराज 42/2020 1	

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम महानन्दपूरा तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.न. 64 रकबा 0.22 हैक्टेयर, ख.न. 67 रकबा 0.84 हैक्टेयर स्थित है | प्रार्थी की उक्त भूमि के लगवा एवं पास में ही विपक्षीगण की कृषि भूमि ख.न. 71, 63, 77 स्थित है | जिसमे भूमि ख.न. 71 रकबा 0.45 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 5 कुंजीलाल मीना की खातेदारी में दर्ज है | हालांकि उक्त विपक्षी संख्या 5 अपनी इस भूमि को विपक्षी संख्या 6 नरेश को जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 18/09/2015 विक्रय कर चूका है एवं तभी से विपक्षी संख्या 6 नरेश का कब्जा काश्त है इसी प्रकार ख.न. 64 व 71 के दक्षिणी तरफ लगवा भूमि ख.न. 63 रकबा 0.95 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की सयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है एवं उक्त ख.न. के लगवा दक्षिण में मुख्य जयपुर-गंगापुर सड़क तक पटरीनुमा भूमि ख.न. 77 रकबा 0.50 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1 करीमन की खातेदारी की भूमि है | प्रार्थी उक्त भूमि ख.न.64 व 67 तक पहुचने के लिए कदीमी रास्ता सलग्न नजरी नक्शे में लाल डोटेड लाइन से दर्शाए अनुसार मौजूद है अर्थात उक्त कदीमी रास्ता मुख्य जयपुर सड़क से लगवा ख.न. 77 में से होता हुआ ख.न. 63 व 71 में से निकलते हुए ख.न. 67 तक जाता है एवं ख.न. 67 में से होकर ख.न. 67 की उत्तरी डौल के लगवा स्थित पुराना भौमिया जी के मन्दिर तक जाता है | प्रार्थी के उक्त खेतो तक आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है | इसके अलावा अन्य कोई रास्ता अथवा वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के खेतो तक मुख्य सड़क से पहुचने के लिये मौजूद नही है | उक्त लाल डोटेड लाइन से दर्शित कदीमी रास्ता सिर्फ मौके पर मोजूद है, राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है | इसी कारण भूमि ख.न. 71, 63, 77 के खातेदारान विपक्षीगण की नियत में खोट आ रहा है एवं वे प्रार्थी को अपने खेतो पर पहुचने के मार्ग बन्द करना चाहते है | विपक्षीगण ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मु० करीमन / ईमराव 52/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी को एलानिया धमकी दी है कि चूँकि राजस्व रिकार्ड में लाल डोटेड लाइन से दर्शाया रास्ता दर्ज नही है इसलिए हम लोग कभी भी इसे जब चाहेगे जब जोत देंगे एवं इसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे | इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है | प्रार्थी को अपनी जोतो खेत ख.न. 64 व 67 तक पहुचने के लिए विपक्षीगण की जोत में होकर विशिस्ठ रूप से उक्त नया मार्ग नियमानुसार 30 फिट चौड़ाई का राजस्व रिकार्ड में बनाने के अलावा अन्य लघुतम या निकटतम रूट के रूप में कोई वैकल्पिक साधन अथवा रास्ता नही हो सकता है जो राजस्व नक्शा ट्रेस से भी बखूबी साबित है | अत: प्रार्थना पत्र क पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार एवं सलग्न नजरी नक्शे में दर्शाए अनुसार मुख्य जयपुर-गंगापुर सड़क से भूमि ख.न. 77, 63 व 71 में होकर नया 30 फिट चौड़ा मार्ग बनाया जावे एवं तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि में उक्त नवीं मार्ग बाबत इन्द्राज दुरुस्त फरमाए जावे ताकि प्रार्थी को अपनी जोतो खेत ख.न. 64 व 67 तक मुख्य जयपुर-गंगापुर रोड से पहुचने के लिए मार्ग उपलब्ध हो सके | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब किया गया | अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से ख़ारिज फरमाए जाने का निवेदन किया | एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त की रजिस्टर्ड खरीद शुदा भूमि ख.न.71 रकबा 0.45 है. में होकर नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र में लाल डोटेड लाइन से दर्शित व स्थित रास्ते में राजस्व रिकार्ड में नवींन मार्ग कायम करने की स्थिति में विपक्षी संख्या 6 को नियमानुसार उचित मुवावजा प्रार्थी से दिलवाये जाने की शर्त पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अनापत्ति होना अंकित कर अन्यथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी | तत्तपश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के अभिभाषक के न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात भी बहस नही किये जाने पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस समायत की

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
42/2020	मु-करीमन / हेमराज 3	

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24/04/2018 के जरिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख.न. 64,67 ग्राम महानन्दपुर में पहुचने के लिए पटवारी हल्का हिंगोटया द्वारा नजरी नक्शा में लाल रंग की डोटेड लाइन से दर्शित ग्राम महानन्दपुर की भूमि ख.न. 77 में लम्बाई 132 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर कुल 1188 वर्गमीटर, ख.न. 63 में लम्बाई 40 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर कुल 360 वर्गमीटर, ख.न. 64 में लम्बाई 90 मीटर व चौड़ाई 9 मीटर कुल 810 वर्गमीटर नवीं रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है | पटवारी हल्का हिंगोटया द्वारा नजरी नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा | इसके अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी से कम की जाकर गै.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे | भूमि ख.न. 77 असिंचित एवं सडक के नजदीक है जिसकी तहसीलदार गंगापुर से प्राप्त डी.एल.सी. दर 3211200/- प्रति हैक्टर है | भूमि ख.न. 77 में 1188 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आ रही है जिसके लिए खातेदार करीमन धर्मपत्नी दिना जाति तेली मुसलमान को रु.381491/- भूमि ख.न. 63 असिंचित एवं सड़क के दूर है जिसकी तहसीलदार गंगापुर से प्राप्त डी.एल.सी. दर 913900/- प्रति हैक्टर है | भूमि ख.न. 63 में 360 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आ रही है जिसके लिए खातेदार इस्माइल, रसूल, स्लिम पुत्रगण दिना, करीमन पत्नी दिना जाति तेली मुसलमान को रु. 32901/- भूमि ख. न. 71 असिंचित एवं सड़क से दूर है जिसकी तहसीलदार गंगापुर से प्राप्त डी.एल.सी. दर 913900/- प्रति हैक्टर हैम भूमि ख.न. 71 में 360 वर्गमीटर भूमि रास्ते में आ रही है जिसके लिए भूमि के रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा खरीदकर्ता नरेश पुत्र भरती, मीना निवासी अरन्या को रु. 32901/- मुआवजा राशि दिए जाने का आदेश दिया जाता है | चूँकि अप्रार्थीगण ने अपने बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नह कराए है अत: उपरोक्तानुसार मुआवजा राशि के बैंकर चैक प्रार्थी उपरोक्तानुसार सम्बंधी खातेदारों के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

बनवाकर भुगतान हेतु इस न्यायालय में जमा करावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को मय नजरी नक्शा भिजवाये जाने के आदेश पारित किये गये। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकार समायत की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने मौखिक बहस के साथ लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जिसमे मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि अपीलार्थी का ख.न. 77 है जिसकी बनावट एक लम्बी पट्टी के समान है जिसे जानबूझ कर परेशान करने की नियत से उसमे रास्ता देकर प्रार्थी के रकबे को छिन्न-भिन्न करना चाहते है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि मुख्य मार्ग से पूर्व में ही एक पगडण्डी जो ख.न. 30 से होकर सीधा ख.न. 74,63 व 71 में होकर ख.न.67 में जा रही है जो आज भी प्रचलन में है, इसलिये ख.न. 77 में से रास्ता देना कदापि उचित नही है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि ख.न.64 व 67 वर्तमान में कृषि हेतु उपयोग नही किया जा रहा है बल्कि मौके पर प्लाटिंग हो चुकी है एवं गणेश नगर नाम से कॉलोनी का विस्तार किया जा रहा है जबकि धारा 251(ए) के तहत मात्र कृषि भूमि हेतु ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो ख.न. 77 में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, उसे निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान निर्णय के सलग्न नजीरी नक्शे की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अभिभाषक अपीलांट द्वारा पूर्व में कोई पगडण्डी मुख्य मार्ग तक जाने हेतु ख.न. 30 व 74 में होकर जाना जाहिर किया है जबकी मौके पर ख.न. 30 का कोई अस्तित्व नही है एवं यदी मार्ग नक्शे अनुसार पूर्व में कही पगडण्डी ही रही अगर अस्तित्व मे होता तो नक्शे में पूर्व मार्ग को दर्शाया गया होता। जबकी नक्शे में जो पूर्व में अस्तित्व व प्रचलन में मार्ग था उसी को दौहराते हुये कानूनी रास्ता स्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

किया गया है | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 5 व 6 जो कि अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 है के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने ख.न. 71 में से रास्ता दिये जाने हेतु अनापत्ति दर्ज कराई है | इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी स्वीकृति इस हेतु अंकित कर दी थी कि उक्त पक्षकारान की जो भी भूमि रास्ते हेतु अवाप्त होती है में चूँकि प्रार्थी को रास्ते का लाभ मिलेगा, इसलिये उनकी ली जानी वाली भूमि हेतु वे प्रतिफल देने के लिये तैयार है जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश भी पारित कर दिया गया है | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के अन्त में यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी बहस में इस बात की ताईद कर चुके है कि मौके पर पगडण्डी के रूप में रास्ता उपलब्ध है किन्तु आज के आधुनिक युग में मार्ग पगडण्डी से किसी प्रकार के सुविधा साधन को लाना ले जाना सम्भव नही है | इसके लिये पुख्ता रास्ता होना आवश्यक है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है, उचीत है | अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया था कि ख.न. 67 व 64 में जाने हेतु पूर्व में ही ख.न. 30 में होते हुये ख.न. 74 व 71 में होते हुये पगडण्डी प्रचलन में है | इस सन्दर्भ में नजीरी नक्शे को देखा गया तो ज्ञात होता है कि ख.न. 74 व 71 के मध्य ख.न. 63 भी पड़ता है जो कि अपीलार्थी की खाते की आराजीयात है किन्तु नजीरी नक्शे के अवलोकन से यह कतई ही सिद्ध नही होता है कि ख.न. 30 का कही दक्षिण की और अस्तित्व हो क्युकी खसरा नम्बरान का अंकन नक्शे के अनुसार उत्तर दिशा से बढ़ता हुआ दक्षिण दिशा की और किया गया है एवं मुख्य मार्ग नक्शे के अनुसार दक्षिणी दिशा में ख.न. 172 में स्थित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ख.न. 30 मुख्य मार्ग जो की ख. न. 172 में स्थित है के सलग्न नही हो सकता | इसके अतिरिक्त यह तथ्य स्पष्ट है कि मात्र पगडण्डी से इस आधुनिक युग में सुविधाजनक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मु. करीमन / हेमराज

तारीख हुक्म	42/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 6	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवागमन नही हो सकता एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार प्रार्थी/ रेस्पोडेन्टस की आराजीयात में जाने आने हेतु रास्ता कायम किया गया है, जो धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय 24/04/2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर	